दिनांक 22.07.2025
प्रेस विज्ञप्ति 32/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद अलीगढ़/थाना अकराबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 बुलेट मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 22.07.2025 को थाना अकराबाद, स्वाट टीम/सर्विलांस की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नानऊ नहर पटरी से चांदगढ़ी जाने वाले रास्ते पर बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आनन्द घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 बुलेट मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना घोसी जनपद मऊ पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद अलीगढ़, कानपुर देहात, फतेहपुर, मऊ, राजस्थान के विभिन्न थानों पर चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अकराबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–आनन्द निवासी वार्ड नं0–03 बनारसी दास पर्छया औरैया थाना कोतवाली जनपद औरैया।

बरामदगी

1–01 बुलेट मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–142

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 22.07.2025 को थाना सेक्टर–142 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सेक्टर–140 नोएडा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त रोहित कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व दिल्ली के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–142 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–142 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित कुमार निवासी ग्राम बनैल पटियाली थाना गंजडुण्डवारा जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट वाराणसी/थाना सिगरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाख 15 हजार 720 रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.07.2025 को थाना सिगरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनईआर पार्किंग के पास से अभियुक्त शिवम को गिरफ्तार किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण, चोरी के 01 लाख 15 हजार 720 रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.06.2025 को थाना सिगरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिगरा पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवम निवासी ग्राम विशेषपुर माफी नरायनपुर थाना अदलहाट जनपद मीरजापुर।

बरामदगी

1—चोरी के लगभग 04 लाख 50 हजार रूपये कीमत के पीली धातु के आभूषण।

2—चोरी के 01 लाख 15 हजार 720 रूपये नगद।

3—चोरी की 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद हरदोई/थाना माधौगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 01 लाख 43 हजार 300 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 22.07.2025 को थाना माधौगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अभियुक्त आफाक अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी के 01 लाख 43 हजार 300 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 24.06.2025 को थाना माधौगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना माधौगंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया आदि चोरी की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बस्ती, रायबरेली, सुल्तानपुर के विभिन्न थानो मे धोखाधड़ी,एनडीपीएस एक्ट आदि के 06 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना माधौगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आफाक अहमद निवासी घरहाखुर्द कोतवाली नगर जनपद सुल्तानपुर।

बरामदगी

1—चोरी के 01 लाख 43 हजार 300 रूपये नगद।

जनपद बाराबंकी/थाना जहाँगीराबाद

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण**
- **चोरी के 24 हजार रूपये नगद**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 22.07.2025 को थाना जहाँगीराबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बहादुरपुर पानी टंकी के पास से 02 अभियुक्तों 1—सलामत अली 2—रिंकू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में चोरी के (पीली—सफेद) धातु के आभूषण, चोरी के 24 हजार रूपये नगद, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 28.06.2025 को थाना जहाँगीराबाद क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सलामत अली के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, अयोध्या के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं

अभियुक्त रिंकू के विरूद्ध जनपद बाराबंकी व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना जहाँगीराबाद पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलामत अली निवासी ग्राम काशीराम कॉलोनी थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

2–रिंकू निवासी ग्राम बंकी उत्तर टोला थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में चोरी के (पीली–सफेद) धातु के आभूषण।

2–चोरी के 24 हजार रूपये नगद।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

- **जनपद फतेहगढ़ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 03 करोड़ 12 लाख 10 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

जनपद फतेहगढ़ पुलिस ने अभियुक्त हसनैन पुत्र जुम्मन खाँ निवासी खटकपुरा सिद्दीकी थाना कोतवाली जनपद फर्रूखाबाद द्वारा अपने परिजनों के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 03 करोड़ 12 लाख 10 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

- **जनपद औरैया/थाना को0औरैया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद औरैया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद औरैया द्वारा थाना को0औरैया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/149/307/148 भादवि व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–अमन 2–योगेश 3–विकास को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सुनील कुमार 2–जमुना प्रसाद को सश्रम आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना बिन्दकी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना बिन्दकी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अभिषेक को सश्रम आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना विशेश्वरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना विशेश्वरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि, 6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राशिद को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

——————